निबंधन संख्या पी०टी०-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 वैशाख 1932 (श०)

(सं० पटना 299) पटना, बुधवार, 28 अप्रील 2010

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

28 अप्रील 2010

सं० एल०जी०-1-07/2010/लेज-150—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित [illegible] जिसपर राज्यपाल दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की [illegible] के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के [illegible]

मजहर इमाम

सरकार के प्रभारी [illegible]

[बिहार अधिनियम 17, 2010]

बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम 2010

प्रस्तावना—विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों की तैयारी तथा विशिष्ट संस्थानों [illegible] हेतु बेहतर शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए राज्य के निजी कोचिंग संस्थाओं के नियंत्रण तथा [illegible] उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह [illegible] हो:—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**— (1) यह अधिनियम बिहार [illegible] संस्थान [illegible] विनियमन) अधिनियम 2010 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ।**— जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरूद्ध नहीं हो इस नियमावली में –

(i) "सरकार" से अभिप्रेत है "बिहार सरकार",

(ii) "निबंधन" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन किया गया निबंधन

(iii) "निबंधित कोचिंग संस्था" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन निबंधित कोचिंग संस्थान;

(iv) "निबंधन संख्या" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन दी गई निबंधन संख्या,

(v) "नियमावली" से अभिप्रेत है धारा–9 के अधीन बनायी गयी नियमावली;

(vi) "शिक्षण फीस" से अभिप्रेत है, शैक्षिक अनुसमर्थन के लिए निबंधित कोचिंग संस्था द्वारा नामांकित छात्रों से ली जानेवाली राशि, यथा– नामांकन फीस, शिक्षण फीस आदि;

(vii) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित निबंधन समिति;

(viii) "अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है प्रमण्डलीय आयुक्त;

(ix) "कोचिंग संस्थान" से अभिप्रेत है, किसी निजी / निबंधित संस्था अथवा ट्रस्ट द्वारा इस अधिनियम की धारा–3 के अधीन 10 से अधिक छात्र/छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा अथवा शैक्षिक अनुसमर्थन के लिए तैयारी का उपबंध करने हेतु निबंधित संस्था;

(x) "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय/राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा/विभिन्न बोर्ड द्वारा विहित पाठ्यक्रम;

(xi) "निबंधन फीस" से अभिप्रेत है, कोचिंग संस्थान के निबंधन हेतु अपेक्षित फीस;

(xii) "निबंधन प्रमाण–पत्र" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन निर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र;

(xiii) "विहित" से अभिप्रेत है, नियमावली, विनियमावली और अधिसूचनाओं द्वारा विहित;

(xiv) "छात्र/छात्रा" से अभिप्रेत है, कोचिंग संस्थान में नामांकित छात्र/छात्रा;

(xv) "उल्लंघन" से अभिप्रेत है, कोचिंग संस्थान के संचालन हेतु अधिनियम / नियमावली के प्रावधानों एवं संबंधित अधिसूचनाओं का उल्लंघन।

अध्याय–2

कोचिंग संस्था का निबंधन / कोचिंग संस्थान द्वारा विहित पाठ्यचर्या / प्रतियोगिता परीक्षा / शैक्षिणक अनुसमर्थन / नामाकन फीस / निबंधन फीस।

3. **विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा एवं पाठयक्रमों की तैयारी के लिए शैक्षणिक अनुसमर्थन हेतु कोचिंग संस्था की स्थापना/निबंधन।**– (1) इस अधिनियम के आरम्भ होने के एक माह के भीतर पूर्व से संचालित कोचिंग संस्थाओं को निबंधन कराना होगा।

(2) इस अधिनियम के आरंभ होने के बाद, कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किये न तो स्थापित किया जायेगा और न चलाया जायेगा।

(3) निबंधन की अवधि तीन वर्षों की होगी।

(4) इस अधिनियम के आरम्भ होने के बाद कोई व्यक्ति, जो कोचिंग संस्थान स्थापित करने या चलाने का इच्छुक हो, निबंधन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए जिला पदाधिकारी को निम्नांकित सूचनाओं के साथ विहित प्रपत्र में, 5,000 (पाँच हजार) रूपये निबंधन फीस के साथ, आवेदन देगा।

(क) पाठ्यक्रम का निर्धारण।– (1) विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक अनुसमर्थन के लिए पाठ्यक्रम एव पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि स्पष्ट की जायगी।

(2) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम छात्रों की संख्या उल्लिखित की जायगी।

(ख) शैक्षिक योग्यता।– न्यूनतम स्नातक योग्यताधारी गैर–सरकारी शिक्षकों अथवा सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा अध्यापन का कार्य सम्पन्न किया जायगा। शिक्षकों के जीवन–वृत के साथ उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव उल्लिखित किया जायेगा।

(ग) शिक्षण फीस।– (1) कोचिंग संस्थान को विभिन्न पाठयचर्या / पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि का उल्लेख करते हुए शिक्षण फीस के साथ प्रोस्पेक्टस निर्गत करना होगा।

(2) पाठ्यक्रम के अधीन प्रोस्पेक्टस में व्याख्यान, ट्युटोरियल की संख्या, ग्रुप डिस्कशन आदि का उल्लेख करना आज्ञापक होगा।

(घ) भौतिक अधिसंरचना–(1) कोचिंग संस्था की आधारभूत संरचना के अधीन वर्ग कक्ष का न्यूनतम क्षेत्र प्रति छात्र न्यूनतम 1 (एक) वर्गमीटर होगा।

(2) अन्य सुविधाएँ।– इसके अधीन प्रत्येक कोचिंग संस्था द्वारा निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी :–

(i) समुचित उपस्कर (बेंच/डेस्क आदि),

(ii) पर्याप्त प्रकाशीय व्यवस्था (विद्युतीकरण),

(iii) पेयजल की सुविधा,

(iv) शौचालय की सुविधा;

(v) जलमल निकासी और स्वच्छता सुविधाएँ,

(vi) अग्निशमन की व्यवस्था;

(vii) आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, और

(viii) साईकिल/वाहन की पार्किंग की सुविधा।

नोटः राज्य सरकार उपलब्ध आधारभूत संरचना को विशिष्ट शर्तों एवं बंधेज पर किसी कोचिंग संस्थान को कोचिंग संचालन हेतु दे सकेगी।

4. **प्राधिकार।**– (1) जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति द्वारा धारा–3 के अधीन निबंधन शर्तों के आधार पर जाँचोपरान्त आवेदित तिथि से (30) तीस दिन के भीतर निबंधन प्रमाण–पत्र दिया जा सकेगा। निबंधन प्रमाण–पत्र हेतु समर्पित आवेदन को नामंजूर किए जाने की स्थिति में, तत्संबंधी सकारण आदेश की प्रति आवेदक को दी जाएगी। निम्नलिखित को मिलाकर एक निबंधन समिति का गठन किया जायेगा :–

(क) जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष

(ख) पुलिस अधीक्षक – सदस्य

(ग) जिला शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य सचिव

(घ) प्राचार्य, (अंगीभूत महाविद्यालय) – सदस्य

नोटः —जिला मुख्यालय अवस्थित अंगीभूत महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य होंगे, एक से अधिक महाविद्यालय होने पर चक्रानुक्रम से अधिकतम एक वर्ष के लिए उन्हें जिला पदाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।

(2) कोचिंग संस्था के निबंधित होने की तिथि से तीन वर्षों के तुरत बाद निबंधन के नवीकरण हेतु विहित प्रपत्र में, 3,000 (तीन हजार) रु० निबंधन फीस के साथ, आवेदन किया जा सकेगा।

5. **कोचिंग संस्थान के कार्यकलाप की जाँच।**– जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा कोचिंग संस्थान के निबंधन के लिए विहित अर्हता पूर्ण करने तथा कार्यकलाप संतोषजनक होने के संबंध में जाँच करा सकेंगे।

अध्याय–3

शास्ति

6. **शास्ति।**– (1) इस अधिनियम के अधीन, प्राधिकार को व्यवहार न्यायालयों की शक्ति होगी। प्राधिकार को वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो किसी वाद के विचारण के लिए सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का V) के अधीन न्यायालय में निहित हो यथा:–

(i) शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य सहित साक्ष्य ग्रहण करना,

(ii) किसी व्यक्ति का सम्मन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना,

(iii) दस्तावेजों को उपस्थापन के लिए विवश करना, और

(iv) खर्चा अवार्ड करना।

(2) कोचिंग संस्थान इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाई गई नियमावली अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्गत अधिसूचना के किसी प्रावधान के उल्लंघन करने पर निम्नलिखित शास्ति के दायी होंगे :–

(i) प्रथम अपराध के लिए 25,000 (पच्चीस हजार) रुपये

(ii) द्वितीय अपराध के लिए 1,00,000 (एक लाख) रुपये

(iii) द्वितीय अपराध के बाद, निबंधन हेतु गठित समिति द्वारा, कोचिंग संस्थान के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में, कारण–पृच्छा और सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद निबंधन रद्द किया जा सकेगा।

अध्याय– 4

अपीलीय प्राधिकार एवं परिवादों का निपटारा

7. **परिवादों का निपटारा।**– कोचिंग संस्थानों के छात्र/छात्रा अथवा कोचिंग संस्थान के कर्मियों द्वारा कोचिंग संस्थान के विरूद्ध अथवा कोचिंग संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं के विरूद्ध अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष परिवाद दायर किया जा सकेगा। परिवादों का निपटारा 30 (तीस) दिनों के भीतर, अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नलिखित को मिलाकर गठित समिति द्वारा किया जायेगा–

(क) अनुमंडल पदाधिकारी – अध्यक्ष

(ख) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / उपाधीक्षक – सदस्य

(ग) अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य सचिव

समिति जाँच के बाद निबंधन प्राधिकार को यथास्थिति शास्ति अधिरोपण या निबंधन रद्दकरण के लिए अपना प्रतिवेदन देगा।

8. **अपीलीय प्राधिकार।**– व्यथित कोचिंग संस्थान द्वारा धारा–4, 5, 6 एवं 7 के अधीन की गई कार्रवाई के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष 30 (तीस) दिनों के भीतर अपील संस्थित किया जा सकेगा। प्रमंडलीय आयुक्त अपील दायर होने के 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर अपील का निपटारा कर देगा। प्रमण्डलीय आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय– 5

प्रकीर्ण

9. नियमावली बनाने और अधिसूचना निर्गत करने की शक्ति।– सरकार, पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियमावली एवं विनियमावली बना सकेगी और अधिसूचना निर्गत कर सकेगी।

10. संदेहों एवं कठिनाईयों का सुधार करने की शक्ति।– इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों और निर्गत अधिसूचनाओं से संगत ऐसा कोई स्पष्टीकरण निर्गत कार्य कर सकेगी, जिसे संदेह या कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक समझे।

28 अप्रील 2010

सं० एल०जी० 1-07/2010/लेज-151—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमत बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मजहर इमाम,

सरकार के प्रभारी सचिव।

[Bihar Act 17, 2010]

BIHAR COACHING INSTITUTE (CONTROL & REGULATION) ACT, 2010

AN

ACT

Preamble – to provide for the control and regulation of private coaching institutes of the State for providing better academic support in preparation of different competitive examinations and curriculum and admission into specialized institutions etc.

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty one year of the Republic of India as follows:

CHAPTER – 1

PRELIMINARY

1. *Short title, extent and commencement.*–(1) This Act may be called the Bihar Coaching Institute (Control & Regulation), Act 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Definitions.*–In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(i) "Government" means – Government of Bihar;

(ii) "Registration" means - registration number given under this Act;

(iii) "Registered Coaching Institute" means - the coaching institute registered under this Act;

(iv) "Registration Number" means the registration number given under this Act;

(v) "Rules" means, rules made under Section-9;

(vi) "Tuition Fees" means the amount taken from the enrolled students for academic support by the registered coaching institute, namely—admission fees, teaching fees etc;

(vii) "Authority" means Registration Committee constituted under the chairmanship of District Magistrate;

(viii) "Appellate Authority" means Divisional Commissioner.

(ix) "Coaching Institute" means a registered institute, by any private / registered institution or Trust, to provide preparation for competitive examination or academic support for more than 10 students, under section 3 of this Act.

(x) "Curriculum" means the curriculum prescribed by All India / State level competitive examinations/ different Boards.

(xi) "Registration Fee" means requisite fee for the registration of coaching institute.

(xii) "Registration Certificate" means registration certificate issued under this Act.

(xiii) "Prescribed" means prescribed by Rules, Regulations and Notifications.

(xiv) "Student" means students enrolled in coaching institute.

(xv) "Violation" means Violation of provisions of the Act / Rules and concerned notifications for the running of coaching institute.

CHAPTER – 2

Registration of Coaching Institute / Syllabus prescribed by Coaching Institute / Competitive Examination / Academic support / Admission Fees / Registration Fees

3. *Establishment/Registration of coaching institute for the academic support for preparation of curriculum and different competitive examinations.*–(1) The pre conducted coaching institutes shall have to be registered within one month from the enactment of this Act.

(2) After the commencement of this Act, no coaching institute shall be established or run without obtaining valid registration certificate.

(3) The tenure of registration shall be for 3 years.

(4) After the commencement of this Act, any person who desires to establish or run coaching institute shall have to apply before the District Magistrate in the prescribed form with registration fee of Rs. 5,000 (Five thousand), along with the following information -

(a) Determination of curriculum – (1) Curriculum for different kinds of academic support and duration for completion of curriculum shall be clarified.

(2) Number of maximum students shall be mentioned for every curriculum.

(b) Academic qualification of teachers – The teaching shall be performed by non-government teachers or retired teachers having at least graduation qualification, along with the bio-data of the teachers, their academic qualification and experience shall be mentioned.

(c) Tuition fees – (1) The coaching institute shall have to issue a prospectus, mentioning different curriculum / duration of completion of curriculum and with tuition fees.

(2) Under the curriculum, it shall be mandatory to mention in the prospectus the number of lectures, tutorial, group discussions etc.

(d) Physical Infrastructure - (1) Within the basic structure of the coaching institute, minimum one sq. meter. area should be for each student.

(2) Other facilities – Under this, the following facilities shall be made available by every coaching institute: -

(i) Sufficient furniture (bench/desk etc.);

(ii) Sufficient lighting arrangement (electrification);

(iii) Facility of drinking water;

(iv) Facility of toilets:

(v) Facility of sanitation and cleanliness;

(vi) Arrangement for fire extinguisher;

(vii) medical treatment facility;

(viii) Facility of parking of cycles/vehicles;

Note:—The State Government may provide available infrastructure to a coaching institution for coaching on specified terms and conditions.

4. *Authority*.—(1) Registration certificate will be given within thirty (30) days of application, by the committee constituted under the chairmanship of the District Magistrate, after examination on the basis of conditions of registration under Section-3. In case of rejection of application submitted for registration certificate, copy of the reasoned order to that effect shall be given to the applicant. A Registration Committee shall be constituted consisting of the following –

(a) District Magistrate – Chairman

(b) Superintendent of Police – Member

(c) District Education Officer – Member Secretary

(d) Principal (Constituent College) – Member

Note:—The Principal of constituent college situated at the district headquarter shall be member. In case of more than one college, they shall be nominated by the district magistrate for one year by rotation.

(2) Soon on completion of 3 years of registration, for renewal of registration, the coaching institute shall apply in prescribed form with Rs. 3,000 (Three thousand) registration fee.

5. *Enquiry of activities of coaching institute*.—The District Magistrate, by an officer not below the rank of sub-divisional officer, shall get enquired regarding the fulfillment of required eligibility of registration and the satisfactory activities of coaching institute.

CHAPTER - 3
PENALTY

6. *Penalty* – (1) Under this Act, the authority shall have the power of civil courts. The authority shall have such power which is vested in the courts under civil procedure code 1908 (V of 1908) for consideration of any suit namely :-

(i) To accept evidence with proof through affidavit;

(ii) To summon and to enforce attendance of any person, and his examination on oath;

(iii) To enforce production of records; and

(iv) To award cost.

(2) In case of violation of any provision of this Act or the rules and notification issued under this Act, the coaching institute shall be liable to penalty as follows:-

(i) Rs. 25,000/- for the first offence.

(ii) Rs. 1,00,000/- shall be for the second offence.

(iii) In case of proof of allegations against the coaching institute after the second offence, the registration shall be cancelled by the Committee constituted for registration, after show-cause and giving sufficient opportunity of hearing.

CHAPTER - 4
APPELLATE AUTHORITY AND DISPOSAL OF COMPLAINTS

7. *Disposal of complaints*.—The complaints shall be filed before the sub-divisional officer against the coaching institute by the students or employees of the

institute and against the students by the coaching institute. Compla[illegible] of within 30 (thirty) days by the committee constituted with the following under the chairmanship of the sub-divisional officer :–

- *(a)* Sub-Divisional Officer – Chairman
- *(b)* Sub-divisional Police Officer/Deputy Superintendent or police – [illegible]
- *(c)* Sub-Divisional Education Officer – Member Secretar[illegible]

After inquiry the committee shall submit its report to the [illegible] imposition of penalty or cancellation of registration as the case may be.

8. *Appellate Authority* - Under Section 4, 5, 6 and 7, [illegible] institute shall file appeal before the Divisional Commissioner with[illegible] action taken. The Divisional Commissioner shall dispose of the [illegible] five) days of filling of appeal. The decision of Divisional Commiss[illegible]

CHAPTER-5

MISCELLANEOUS

9. *Power of Making Rules and to issue notifications* – The [illegible] to pre-publication, for the purposes of enforcement of the prov[illegible] make rules and regulations and may issue notifications.

10. *Power of rectification of doubts and difficulties* – If any [illegible] occur in the enforcement of the provisions of this Act, the Government shall issue any such clarification which deemed necessary for removal of doubts and difficulties under this Act or the provisions of rules made under this and issued notifications.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 299-571+400-डी०टी०पी०।

Website: http://egazette.bih.nic.in